न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 27 / 2009

1–लीलावती पत्नि रामहेत पुत्री फूलसिंह (मृतक)
2–राजवीर सिंह पुत्र औंकार सिह जाति जाट निवासी नगला अस्तावन, 3–महादेई पत्नि विजयसिंह। जाति जाट निवासी कोलीपुरा तह.भरतपुर
4–हरदेई पत्नि बच्चूसिंह ।
5–गुडडी पत्नि अशोक निवासी जाजऊ तहसील किरावली जिला आगरा यूपी
6–मुन्नी पत्नि लक्ष्मन । जाति जाट निवासी ऊंदरा तहसील भरतपुर
7–सुनीता पत्नि बल्देव।
8–शिवदेई पत्नि महावीर जाति जाट तहसील किरावली जिला आगरा यूपी

.....अपीलान्टान

बनाम

1–केशो पत्नि हंसा
2–रामवीर ।
3–श्यामवीर । पुत्रान हंसा अकवाम जाट निवासीयान
4–औंकार सिंह ।
5–साहव सिंह ।–पुत्रान फूलसिंह नगला अस्तावन तहसील व
6–रामस्वरुप । भरतपुर
7–ओमप्रकाश ।
8–मिथलेश पत्नि जगन सिंह

.....रेस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 18.10.77 बाबत नामान्तकरण संख्या 1022 बाके ग्रांम नौंह तहसील भरतपुर ।

———

आदेश दिनांक 20.2.2018

अपीलान्टा ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर नामान्तकरण संख्या 1022 दिनांक 18–10–2017 ग्रांम नौंह तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 1022 मृतक फूलसिंह पुत्र शोभाराम की विरासत का दर्ज किया गया है। तहसीलदार भरतपुर की उक्त आज्ञा से व्यथित होकर यह अपीलान्टा लीलावती ने मृतक फुलसिंह विरासत में प्रथम श्रेणी की वारिस(पुत्री) बताते हुये अपील पेश की गई है।

.....2

अपील / 28 / 2009

1–लीलावती पत्नि रामहेत पुत्री फूलसिंह (मृतक)
2–राजवीर सिंह पुत्र औंकार सिह जाति जाट निवासी नगला अस्तावन, 3–महादेई पत्नि विजयसिंह। जाति जाट निवासी कोलीपुरा तह.भरतपुर
4–हरदेई पत्नि बच्चूसिंह ।
5–गुडडी पत्नि अशोक निवासी जाजऊ तहसील किरावली जिला आगरा यूपी
6–मुन्नी पत्नि लक्ष्मन । जाति जाट निवासी ऊंदरा तहसील भरतपुर
7–सुनीता पत्नि बल्देव।
8–शिवदेई पत्नि महावीर जाति जाट तहसील किरावली जिला आगरा यूपी
.....अपीलान्टान

बनाम

1–औंकार सिंह ।
2–साहव सिंह ।–पुत्रान फूलसिंह जाति जाट नगला अस्तावन तहसील व
3–रामस्वरुप । भरतपुर
4–ओमप्रकाश ।
5–मिथलेश पत्नि जगन सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी दिनांक 7.7.81 बाबत खसरा परिसंशोधन पत्र संख्या 28बाके ग्रांम नौंह तहसील भरतपुर ।

———

अपीलान्टा ने यह अपील सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के आदेश खसरा परिसंशोधन संख्या 28 के खिलाफ पेश की गई है। उक्त खसरा परिसंशोधन संख्या 28 मृतक फूलसिंह पुत्र शोभाराम की विरासत का दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। ए. एस.ओ.भरतपुर उक्त आज्ञा से व्यथित होकर यह अपीलान्टा लीलावती ने मृतक फुलसिंह विरासत में प्रथम श्रेणी की वारिस(पुत्री) बताते हुये यह अपील पेश की गई है।

.....3

अपील/ 20/2009

1–औंकार सिह । पुत्रान फूलसिंह जाति फौजदार निवासी नगला 2–रामस्वरुप । तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलांट

बनाम

1–मिथलेश पत्नि जगन सिंह ।जाति जाट निवासी नगला अस्तावन
2–ओमप्रकाश पुत्र फूलसिंह । तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व नामान्तकरण संख्या 905 दिनांक 16.3.09 तहसीलदार भरतपुर।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार भरतपुर के आदेश नामान्तकरण संख्या 905 दिनांक 16.3.2009 बैयनामा के आधार पर ओमप्रकाश के 1/4 हिस्से का रेस्पो. मिथलेश के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने कथन किया है कि ओमप्रकाश ने अपने हिस्सा आराजी का बेचान अपीलान्ट के हक में किया हुआ है। अपीलान्ट ही ओमप्रकाश की हिस्सा आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी बाबत घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। तहसीलदार ने बिना जॉच किये नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जिसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उक्त तीनों अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की ओर से उक्त तीनों अपीलों में लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

उक्त तीनों अपीलों में एक ही विवादित आराजी एवं एक ही पक्षकार होने से न्यायहित में तीनों अपीलों का एक ही निर्णय से निस्तारण किया जा रहा है।

योग्य अभिभाषक महाराजसिह अपीलान्ट ने प्रस्तुत लिखित बहस के साथ अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 1994 पेज 44 एवं आर.आर.डी. 2002 पेज 353 उद्यरत किये जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। तथा आरआरडी 2003 पेज 550 एवं आर.बी.जे. 1995 पेज 55 उद्वरित किये जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। तथा योग्य अभिभाषक राजेन्द्र सिह अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की तथा अपने कथनों के समर्थन में आर.पी.जे. 1995 (2) पेज 55, आर.एल.डबलू(आरजे)2012 पेज 826, आर.आर.डी. 1999 पेज 148,514 का हवाला देते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....4

योग्य अभिभाषक गोबिन्द सिंह डांगुर रेस्पो ने अपनी लिखित बहस पेश की गई हैं, अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2008(2)पेज1081, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 154एससी, आरबीजे 2010 पेज 289(एचसी), आरआरडी 1977 एनयूसी27 एवं आर.आर.डी. 2002 पेज 282, आरएलडब्लू 2007(1)पेज 481, आर.आर.डी.2002 पेज 10 पैरा–7, आरएलआर1990(2)पेज 672, आरएलआर1996(1) पेज 516, आरआरडी 2003 पेज 276, आरएलडब्लू2008(1)45 उद्यरत किये जाकर अपील म्याद बाहर होने एवं बिना किसी आधार के होने एवं मैन्टेनेविल न होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं उद्यरित रुलिंग का अध्ययन किया गया। अपील 27/09 में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1022 दिनांक 18.10.77 पर गौर किया गया। नामान्तकरण संख्या 1022 मृतक फूलसिह पुत्र शोभाराम की विरासत का रेस्पो. हन्सा, ओंकारसिंह, साहबसिंह, रामस्वरुप व ओमप्रकाश (पॉच)के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। अपील संख्या–28/09 में अपीलाधीन खसरा परिशोधन जो कि मृतक फूलसिह की विरासत का खोला गया है, इस खसरा परिशोधन में अंकित नोट में मृतक फूल सिंह के चार लड़के होना अंकित करते हुये क्रमशः ओंकारसिंह,साहबसिंह,रामस्वरुप व ओमप्रकाश के नाम स्वीकार किया गया। अपीलान्ट लीलावती ने मृतक पिता फूलसिंह की आराजी में प्रथम श्रेणी की वारिस बताते हुये अपना हिस्सा पाने के लिये अपील पेश की गई है। दौराने मुकदमा लीलावती फोत हो चुकी है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर राजवीर सिंह पुत्र औंकारसिंह को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है तथा अपीलान्टा मृतका लीलावती की पुत्रीयों को भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशानुसार सुने जाने हेतु पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अपीलान्ट ने देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 मय शपथ पत्र पेश किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality

of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits
of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। स्व.फूलसिंह की सम्पत्ति में उसकी पुत्री मृतका लीलावती प्रथम श्रेणी की वारिस होने से अपना हिस्सा पाने की हकदार रहती है। अपील संख्या 27/09 में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1022 में पॉच वारिसान दर्शाये गये हैं जब कि अपील संख्या 28/09 में अपीलाधीन आदेश खसरा परिशोधन पत्र संख्या 28 में मृतक फूलसिंह चार पुत्र एवं एक विवाहित पुत्री होने अंकित किया परन्तु खसरा परिशोधन केवल चार पुत्रों के नाम ही स्वीकार किया गया है।इससे यह तो स्पष्ट है कि मृतक फूलसिंह की पुत्री भी है। जिसको मृतक फूलसिंह की विरासत में नहीं लिया गया है जो नियमों के प्रतिकूल है। उक्त दोनों अपीलों में मृतक फूलसिंह के अंकित वारिसानों में भी विरोधाभाष है।

.....5

इससे यह प्रतीत होता है कि तहत न्यायालयों द्वारा मृतक फूलसिंह की विरासत खोलते समय मृतक के वारिसानों की विधिवत जॉच नहीं की गई है। अस्तु उक्त दोनों अपीलाधीन आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं तथा काबिल खारिज के रहते हैं। प्रकरण जॉच हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

जहॉ तक अपील संख्या 20/2009 में अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 905 जो कि ओमप्रकाश पुत्र फूलसिंह द्वारा हिस्से 1/4 का जरिये बेयनामा मिथलेश के नाम स्वीकार का है उक्त नामान्तकरण संख्या 905 को भी इसलिये हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं, क्यों कि अपील संख्या 27/09 व 28/09 में किये गये विवेचन के अनुसार मृतक फूलसिंह की विरासत का बाद जॉच तहत न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाकर वारिसान का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना है। तत्पश्चात ही ओमप्रकाश पुत्र फूलसिंह अपने हिस्सा आराजी का ही बेचान करने का हकदार होगा। जब तक मृतक फूलसिंह की विरासत की पुनः जॉच कर समस्त वारिसान के हिस्सों को तहत न्यायालय द्वारा तय किये जाने के उपरान्त ही ओमप्रकाश के हिस्से में आई आराजी तक ही ओमप्रकाश विक्रय करने का हकदार रहता है। इस प्रकार उक्त तीनों अपील को स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं कि वे मृतक फूलसिंह पुत्र शोभाराम के वारिसान की पुनः जॉच कर उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1022 एवं खसरा परिशोधन संख्या 28 एवं नामान्तकरण संख्या 905 ग्रांम नोंह तहसील भरतपुर निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक फूलसिंह पुत्र शोभाराम के वारिसान की पुनः जांच करें। उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.2.2018 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official